समक्ष माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक R-1024-II/2011

आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता– श्रीमती अनीता पाण्डेय उम्र 44 वर्ष पत्नी श्री अतुल पाण्डेय निवासी आदर्श कालोनी, अजय मिश्रा अधिवक्ता के मकान में कटनी तहसील व जिला कटनी **वर्तमान पता** बस स्टाप के पास आनंद अधारताल, जबलपुर

विरूद्ध

अनावेदिका :– श्रीमती तरूणा पाण्डेय पत्नी श्री पवन कुमार पाण्डेय उम्र करीबन 43 वर्ष निवासी– सिंघई कालोनी, बरही रोड बल्लभभाई पटेल वार्ड कटनी तहसील व जिला कटनी

A. K. Sharma Adv

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता 1959

आवेदिका माननीय न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्र.क्रं. 637–अ/6/2009–10 में पारित आदेश दिंनाक 26–06–2011 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नांकित तथ्य एवं आधारों पर प्रस्तुत करती हैं :–

तथ्य – प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है :–

1– यह कि आवेदिका व अनावेदिका के द्वारा ग्राम झिंझरी, प.ह.नं. 29/46, राजस्व निरीक्षक मण्डल मुड़वारा 01, तहसील व जिला कटनी स्थित खसरा नम्बर 422 रकवा 0.30 हे. भूमि जिसका लगान 0.50 रूपये है जिसकी चौहद्दी के उत्तर में रामकलीबाई, दक्षिण में रास्ता, पूर्व में भी तालाब जाने वाला रास्ता, पश्चिम में रामकिशोर गुमास्ता की भूमि है, को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 28–05–1993 को प्रमोद किशोर गुमास्ता से क्रय किया था तथा मुर्गी पालन केन्द्र चलाने के लिये फार्म हाउस का निर्माण यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कटनी से लोन लेकर किया था ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1024/दो/2011 जिला- कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9.9.16	यह निगरानी आवेदिका द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभा जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 637/अ-6/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदिका व अनावेदकि द्वारा ग्राम झिझरी प.ह.न. 29/46 राजस्व निरीक्षक मण्डल मुडवारा 01 तहसील व जिला कटनी स्थित खसरा नं. 422 रकवा 0.30 है0 जिसकी चौहद्दी के उत्तर में रामकली बाई दक्षिण में रास्ता पूर्व में तालाब जाने वाला रास्ता, पश्चिम में रामकिशोर गुमास्ता की भूमि जो पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 28.05.1993 को प्रमोद किशोर गुमास्ता के क्रय किया गया था तथा मुर्गीपालन केन्द्र चलाने के लिये फार्म हाउस का निर्माण यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया कटनी से लोन लेकर किया था। मुर्गी पालन केन्द्र का फार्म हाउस नगर निगम कटनी के क्षेत्र में आने से नगर निगम कटनी के अभिलेखों इन्ही दोनो का नाम दर्ज चला आ रहा है जिसकी भवन संख्या 434 है। जोकि मौके पर अब नहीं है आवेदिका एवं अनावेदिका संगी देवरानी है जिसके साथ नमालूम कब कैसे आवेदिका का नाम उक्त भूमि से शासकीय व भू-अभिलेखों से शासकीय किसी अज्ञात राजस्व अधिकारी से साठ-गांठ से करावा दिया है। और अवैधानिक रूप से अकेली उक्त भूमि की भू-स्वामी बताकर उसे किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदिका को	

दिनांक 22.02.2010 को तदाशय की जानकारी लगी तो आवेदिका ने अपने पति के माध्यम से पटवारी से जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि अनावेदिका ने किसी जाली कागजात के आधार पर आवेदिका की सहभूमि स्वामी की उक्त भूमि का बंटवारा कराये बिना ही उसे अकेले अपने हक अधिकार की बतलाकर किसी व्यक्ति को बेचने के प्रयास में है। अनावेदिका के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कटनी के समक्ष संशोधन पंजी क्रमांक 107 में बिना 24.04.1995 को अनावेदिका का नाम काटने को निरस्त किया जाये को चुनौती दिनांक 26.03.2010 को दी गयी है जिसे अनुविभागीय अधिकारी कटनी के द्वारा स्वीकार कर प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 24.04.1995 का निरस्त कर दिया गया तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि दोनो पक्षों को सुनकर अभिलेख के आधार पर सहिता के प्रावधानो के अन्तर्गत विधिसंगत आदेश पारित करें। जबकि उक्त प्रावधान प्रकरण में लागू नहीं होते अनुविभागीय अधिकारी कटनी के द्वारा मूल अभिलेख का अवलोकन किये बिना प्रश्नगत आदेश पारित किया है जो कि त्रुटिपूर्ण है क्योंकि संशोधन आदेश 24.04.1995 को किया गया और अपील 17 वर्ष पश्चात् जो स्पटष्तः अवधि वाधित थी ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश आवेदिका द्वारा अपील कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 20.06.2011 को अस्वीकार कर दी गयी। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखो का विधिवत् अवलोकन किया गया।

4– आवेदिका अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदिका व अनावेदिका सगी देवरानी–जेठानी है तथा आवेदिका व अनावेदिका के मध्य एक पंजीकृत पार्टनरशिप दिनांक 29.06.1991 को निष्पादित किया गया है तथा इस पार्टनरशिप डीड के अनुसार मैसर्स हिन्दुस्तान प्लास्टिक के नाम से एक प्लास्टिक उद्योग लगाया गया तथा इस हेतु आवेदिका व अनावेदिका ने संयुक्त रूप से भूमि क्रय की गयी उक्त भूमि औद्योगिक क्षेत्र बरगवां कटनी में पानी के टंकी के समीप कटाये घाट रोड पर प्लॉट नं. 16 बी एवं 17 का भाग जिसका कुल क्षेत्रफल 31750 वर्गफुट है। जिसका पंजीकृत लीज डीड दिनांक 23.08.1991 को आवेदिका व अनावेदिका के नाम निष्पादित किया गया। तथा इसमें कारखाने हेतु शेड एवं चार कमरो का निर्माण किया गया इसमें आवेदिका व अनावेदिका दोनो की बराबर–बराबर भागीदारी थी।

आवेदक अभिभाषक द्वारा यह भी बताया कि आवेदिका व अनावेदिका के मध्य दिनांक 07.06.1993 को पाटर्नरशिप डीड निष्पादित की गयी तथा मैसर्स फलेमिंगों ऑफ कटनी के नाम से मुर्गी पालन का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु भूमि ग्राम झिझरी में खसरा 422 रकवा 0.30 है0 भूमि आवेदिका व अनावेदिका द्वारा क्रय की गयी थी और मुर्गी पालन का व्यवसाय करने हेतु शेड का निर्माण किया गया इस हेतु यूनियन ऑफ इण्डिया शाखा कटनी से लोन लिया गया व विक्रय पत्र दिनांक 28.05.1993 जोकि आवेदिका व अनावेदिका के नाम निष्पादित थी। को बैंक में बंधक रखा गया तथा उद्योग में भी आवेदिका व अनावेदिका की बराबर–बराबर भागीदारी थी। मुर्गीपालन व्यवसाय प्रारंभ होने के बाद हुये प्रारंभिक नुकसान एवं बैंक ऋण अदायगी की चिन्ता आदि के कारण आवेदिका व अनावेदिका में भागीदारी को लेकर ऋण समस्या होने लगी जिससे दोनो पक्षों ने यह निर्णय लिया कि उपरोक्त दोनो

उद्यौग एवं उनसे संबंधित भागीदारी को समाप्त कर दिया जावे इस हेतु आवेदिका व अनावेदिका ने दिनांक 27.11.1994 को एक भागीदारी विभाजन पत्र निष्पादित किया। विभाजन पत्र अनुसार औद्योगिक क्षेत्र वरगवां कटनी की भूमि प्लांट नं. 16 बी एवं 17 का भाग क्षेत्रफल 31720 वर्गफुट जो मैसर्स हिन्दुस्तान प्लास्टिक के उद्योग हेतु दोनो पक्षो की सम्मिलित भागदारी में स्वीकृत हुआ था तथा उसमें निर्माण भी किया गया था। उक्त प्लाट ओर निर्माण सहित भागीदारी विभाजन विलेख के अनुसार अनावेदिका को प्राप्त हुआ था। तथा अनावेदिका के इस भूमि व निर्मित शेड व कमरे को आशीष कुमार पाण्डे प्रोप्राराईटर मेसर्स पाण्डे रिफैक्ट्रीज को बैच दिया तथा यूनियन ऑफ इण्डिया शाखा कटनी के चैंक क्रमांक 133413 दिनांक 3.6.1993 द्वारा कीमत की राशि अनावेदिका ने प्राप्त कर ली जिसपर आवेदिका ने आपत्ति नही की क्योंकि विभाजन विलेख के अनुसार यह सम्पत्ति बिना किसी ऋृण दायित्व के अनावेदिका को प्राप्त हुयी थी विभाजन पत्र के अनुसार ग्राम झिझरी स्थित भूमि खसरा नं. 422 रकवा 0.30 है0 भूमि व उसपर निर्मित स्ट्रैक्चर आदि का कब्जा आवेदिका को प्रदान किया गया। तथा यूनियन ऑफ इण्डिया कटनी का बकाया ऋृण अदायगी का भार भी आवेदिका को दिया गया तथा आवेदिका को सम्पूर्ण दायित्व रहेगा कि वह अपनी इच्छा व सुविधानुसार विक्री अथवा स्थानान्तरित कर सकेगे तथा अनावेदिका तरूणा व उसके उत्तराधिकारियों को इस भूमि व फर्म की किसी भी सम्पत्ति पर कोई हिस्सा नही रहेगा। आवेदिका द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कटनी का ऋृण चुकाया गया इसी भागीदारी विभाजन के आधार पर मूल विक्रय पत्र बैंक द्वारा आवेदिका को प्रदान किया गया जिसका ज्ञान अनावेदिका को भलीभांति है। संशोधन पंजी ग्राम झिझरी प.ह.न. 29/46 रा.नि.म. मण्डल मुडवारा 01 तहसील कटनी

की पंजी क्रमांक 107 में टीप दिनांक 05.04.1995 अंकित की गयी इस संशोधन पंजी पर राजस्व अधिकारी के समक्ष आवेदिका व अनावेदिका ने उपस्थित होकर अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा बतौर साक्षी आवेदिका व अनावेदिका के पतियों ने भी हस्ताक्षर किये व राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर है। उक्त स्वीकारोक्ति के पश्चात् राजस्व अभिलेखों में आवेदिका का नाम तन्हा रूप से विगत वर्षो से चला आ रहा है उक्त संशोधन पंजी के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो स्वीकार की गयी तत्पश्चात् आवेदिका द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर अपील प्रस्तुत की गयी जो बिना किसी कारण के निरस्त कर दी गयी इस प्रकार दोनो अपीली न्यायालयो के आदेश अभिलेख का विधिवत् अवलोकन किये बिना होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में अभिभाषक द्वारा वर्तमान निगरानी स्वीकार की जाकर संशोधन पंजी पर पारित आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5- अनावेदिका को प्रकरण में सूचना पत्र जारी किया गया किन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नही हुआ है ऐसी स्थिति में अनावेदिका के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अभिलेख के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है।

6- आवेदक अभिभाषक द्वारा किये गये तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका एवं अनावेदिका के मध्य भागीदारी विभाजन पत्र दिनांक 27.11.1994 सम्पादित किया गया है जिसके अनुसार औद्योगिक क्षेत्र वरगवां कटनी की भूमि प्लाट नं. 16बी एवं 17 का भाग क्षेत्रफल 31720 वर्ग फीट जो मैसर्स हिन्दुस्तान प्लास्टिक उद्योग हेतु दोनो पक्षों की सम्मिलित भागीदारी में स्वीकृत हुआ था। तथा उसमें निर्माण भी किया गया था। उक्त प्लाट ओर निर्माण सहित भागीदारी विभाजन

विलेख के अनुसार अनावेदिका को प्राप्त हुआ था। तथा अनावेदिका के इस भूमि व निर्मित शेड व कमरे को आशीष कुमार पाण्डे प्रोप्राराईटर मेसर्स पाण्डे रिफैक्ट्रीज को बैच दिया तथा यूनियन ऑफ इण्डिया शाखा कटनी के चैंक क्रमांक 133413 दिनांक 3.6.1996 द्वारा कीमत की राशि अनावेदिका ने प्राप्त कर ली जिसपर आवेदिका ने आपत्ति नहीं की क्योंकि विभाजन विलेख के अनुसार यह सम्पत्ति बिना किसी ऋण दायित्व के अनावेदिका को प्राप्त हुयी थी विभाजन पत्र के अनुसार ग्राम झिंझरी स्थित भूमि खसरा नं. 422 रकवा 0.30 है0 भूमि व उसपर निर्मित स्ट्रैक्चर आदि का कब्जा आवेदिका को प्रदान किया गया। तथा यूनियन ऑफ इण्डिया कटनी का बकाया ऋृण अदायगी का भार भी आवेदिका को दिया गया तथा आवेदिका को सम्पूर्ण दायित्व रहेगा कि वह अपनी इच्छा व सुविधानुसार विक्री अथवा स्थानान्तरित कर सकेगे तथा अनावेदिका तरूणा व उसके उत्तराधिकारियों को इस भूमि व फर्म की किसी भी सम्पत्ति पर कोई हिस्सा नहीं रहेगा। आवेदिका द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कटनी का ऋृण चुकाया गया इसी भागीदारी विभाजन के आधार पर मूल विक्रय पत्र बैंक द्वारा आवेदिका को प्रदान किया गया जिसका ज्ञान अनावेदिका को भलीभांति है। संशोधन पंजी ग्राम झिझरी प.ह.न. 29/46 रा.नि.म. मण्डल मुडवारा 01 तहसील कटनी की पंजी क्रमांक 107 में टीप दिनांक 24.04.1995 अंकित की गयी इस संशोधन पंजी पर राजस्व अधिकारी के समक्ष आवेदिका व अनावेदिका ने उपस्थित होकर अपने–अपने हस्ताक्षर किये तथा बतौर साक्षी आवेदिका व अनावेदिका के पतियों ने भी हस्ताक्षर किये व राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर है। उक्त स्वीकारोक्ति के पश्चात् राजस्व अभिलेखों में आवेदिका का नाम तन्हा रूप से विगत वर्षो से चला आ रहा है। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय

निगरानी 1024/दो/2
वेदिका

अधिकारी कटनी के न्यायालय में 17 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गयी थी जोकि स्पष्टतः अवधि बाह्य थी ऐसी स्थिति में अवधि के वैधानिक प्रश्न पर विचार किये बिना जो आदेश प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में 1992 आर.एन 289 में उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया है कि परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 व्याप्ति अधिकारिता की प्रक्रति वैवेकिक है पक्षकार विलंब माफी के लिये अधिकार के रूप में हकदार नहीं है पर्याप्त कारण का सबूत अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये पुरोभाव्य शर्त है। न्यायालय अपनी अन्तर्निहित शक्ति के अधीन अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कलावधि नहीं बढा सकता इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत के प्रकाश मे वर्तमान अपील अवधि बाह्य होने से मात्र इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त न्यायदृष्टांत के परिपेक्ष्य अनुविभागीय अधिकारी कटनी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है जहाँ तक अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर का प्रश्न है तो उन्होने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को इस दृष्टि से भी यथावत् रखा है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया है जिससे प्रकरण की जॉच होकर आदेश पारित किया जायेगा। और यदि प्रकरण को पुनः प्रत्यावर्तित किया जाता है तो निश्चित् ही पक्षकारो को न्यायप्राप्त नहीं होगा अथवा न्याय प्राप्ती में अत्यधिक देरी होगी जो न्याय की दृष्टि से उचित नही है क्योंकि सिद्वांत है कि अधिक समय बाद प्राप्त न्याय अन्याय की श्रेणी में है ऐसी स्थिति में भी वर्तमान प्रकरण का निराकरण उपरोक्त स्थिति में किया जाना न्यायौचित होगा। इस प्रकरण में आवेदिका व अनावेदिका के मध्य भागीदारी समाप्ति विभाजन विलेख दिनांक 27.11.1994 सम्पादित

किया गया है जिसके अनुसार नामान्तरण पंजी पर उभय पक्षों की उपस्थिति पर कार्यवाही की जाकर आदेश दिनांक 24.04.1995 व 11.06.1993 पारित किया है ऐसी स्थिति में उपरोक्त आदेश को बिना किसी कारण के अवैध नहीं माना जा सकता ऐसी स्थिति में जो आदेश अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित किये गये है वह विधि एवं अभिलेख के अनुसार नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 637/अ–6/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2011 एवं अनुविभागीय अधिकारी कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 72/अ–6/09–10 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2010 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एवं ग्राम झिझंरी की संशोधन पंजी क्रमांक 107 व क्रमांक 27 में पारित आदेश दिनांक 24.04.1995 व 11.06.1993 विधिवत् होने से स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है एवं तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है, कि वह निगरानी कर्ता अनीता पाण्डेय का नाम राजस्व अभिलेखों में विधिवत् रूप से दर्ज करें।

सदस्य